कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 59वी बैठक, दिनांक 30.04.2026

कार्यवृत्त

प्रबन्ध–मण्डल की 59वी बैठक दिनांक 30.04.2026 को अपरान्ह 12:15 बजे विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन स्थित बैठक हॉल में माननीय कुलगुरु महोदय की अध्यक्षता में Hybrid Mode में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित की सहभागिता रही :–

	प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत माननीय कुलगुरु महोदय, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	**अध्यक्ष**
2.	**संभागीय आयुक्त, कोटा (Online)** वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के नामित सदस्य के प्रतिनिधि	**सदस्य**
3.	**डॉ. मुकेश कुमार शर्मा (Online)** नामित सदस्य, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप–4), राजस्थान सरकार, जयपुर	**सदस्य**
4.	**डॉ. विमला डूंकवाल** कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	**सदस्य**
5.	**डॉ. एन. सी. गौतम (Online)** कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	**सदस्य**
6.	**श्रीमती कल्पना देवी** माननीय विधायक, लाडपुरा, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य	**सदस्य**
7.	**डॉ. मुरलीधर शर्मा (Online)** राज0 सरकार के द्वारा नामित सदस्य	**सदस्य**

8. **प्रो0 अनिता सुखवाल** — **सदस्य**
कुलगुरू द्वारा नामित अधिष्ठाता

9. **प्रो0 प्रतिमा श्रीवास्तव** — **सदस्य**
माननीय कुलगुरु द्वारा नामित अधिष्ठाता

10. **प्रो0 घनश्याम शर्मा** — **सदस्य**
कुलगुरू द्वारा नामित आचार्य

11. **प्रो0 एन.एल. हेडा** — **सदस्य**
माननीय कुलगुरु द्वारा नामित आचार्य

12. **डॉ0 सुशील कुमार शर्मा** — **सदस्य**
विश्वविद्यालय अध्यापक–निर्वाचित सदस्य

13. **डॉ0 नम्रता सेंगर** — **सदस्य**
विश्वविद्यालय अध्यापक–निर्वाचित सदस्य

14. **श्री भगवान कर्मचन्दानी** — **विशेष आमन्त्रित सदस्य**
वित्त नियन्त्रक

15. **श्री राजपाल सिंह** — **सदस्य सचिव**
कुलसचिव

आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार तथा डॉ. संतोष आनन्द, राज्य सरकार के द्वारा नामित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलगुरु एवं सदस्य सचिव द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन किया गया।

प्रबन्ध–मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार निर्णय पारित किये गये :–

मद संख्या–01 : प्रबन्ध मण्डल की 58वीं बैठक दिनांक 11.12.2025 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।

निर्णय : प्रबन्ध मण्डल की 58वीं बैठक दिनांक 11.12.2025 के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित भगवान बिरसा मुंडे शोध पीठ के स्थान पर भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ पढ़े जाने के संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–02 : प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 11.12.2025 को लिए गये निर्णयों के संबंध में की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।

निर्णय : प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 11.12.2025 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही के प्रतिवेदनों को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–03 : कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत डॉ. विक्रांत कुमार शर्मा, को सीएएस के तहत सहायक आचार्य से सह आचार्य पद पर (स्टेज 3, एजीपी 8000, पे–मेट्रिक्स लेवल 12 से स्टेज 4, एजीपी 9000, पे–मेट्रिक्स लेवल 13ए) तथा डॉ. विजय सिंह, सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा को (स्टेज 2, एजीपी 7000, पे–मेट्रिक्स लेवल 11 से स्टेज 3, एजीपी 8000, पे–मेट्रिक्स लेवल 12) में पदोन्नति करने के सम्बन्ध में आयोजित करवायी गयी चयन समिति/Screening Cum Evaluation Committee की अनुशंषाओं के बंद लिफाफे खोले जाकर, अनुशंषाओं का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल की बैठक में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत डॉ. विक्रांत कुमार शर्मा, को सीएएस के तहत सहायक आचार्य से सह आचार्य पद पर तथा डॉ. विजय सिंह, सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा को स्टेज 2 से स्टेज 3 में पदोन्नति प्रदान करने के सम्बंध में दिनांक 05.03.2026 को आयोजित करवायी गयी चयन समिति/Screening Cum Evaluation Committee की अनुशंषाओं के बंद लिफाफे सदन की अनुमति से खोले गये। उक्त क्रम मे चयन समिति/Screening Cum Evaluation Committee की अनुशंषाओं का प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया, जिनका पद एवं विषयवार विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	नाम पद एवं विषय	पदोन्नत पद एवं स्टेज संबंधी विवरण	पदोन्नति प्रदान करने की तिथि (Date of eligibility)
1.	डॉ. विक्रांत कुमार शर्मा सहायक आचार्य, लोक प्रशासन	सहायक आचार्य से सह आचार्य (स्टेज 3, एजीपी 8000, पे–मेट्रिक्स लेवल 12 से स्टेज 4, एजीपी 9000, पे–मेट्रिक्स लेवल 13ए)	28.07.2024
2.	डॉ. विजय सिंह सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा	(स्टेज 2, एजीपी 7000, पे–मेट्रिक्स लेवल 11 से स्टेज 3, एजीपी 8000, पे–मेट्रिक्स लेवल 12)	06.11.2025

मद संख्या–04	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में शैक्षणिक संवर्ग के विज्ञापन संख्या 02/2023 दिनांक 07.10.2023 के द्वारा विज्ञापित शिक्षकों के 24 पदों को पुनः विज्ञापित कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति हेतु।**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में शैक्षणिक संवर्ग के विज्ञापन संख्या 02/2023 दिनांक 07.10.2023 में उल्लेखित शिक्षकों के 24 पदों को राज्यपाल सचिवालय, लोकभवन, जयपुर के निर्देशानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन उपरान्त प्राप्त होने वाले रोस्टर के अनुसार शिक्षकों के उक्त पदों को पुनः विज्ञापित करने की अनुमति प्रदान की गई।
मद संख्या–05	:	**कोटा विश्वविद्यालय कोटा की दिनांक 10.03.2026 को सम्पन्न हुई वित समिति की 24वीं बैठक के कार्यवृत एवं उक्त अनुशंषाओं के क्रम में इस विश्वविद्यालय के बजट अनुमान वित्त वर्ष 2026–27 एवं संशोधित अनुमान 2025–26 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	वित समिति की 24वीं बैठक दिनांक 10.03.2026 के कार्यवृत एवं उक्त अनुशंषाओं के क्रम में इस विश्वविद्यालय के बजट अनुमान वित्त वर्ष 2026–27 एवं संशोधित अनुमान 2025–26 को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–06	:	**विश्वविद्यालय कार्मिकों को दिए जा रहे भवन निर्माण अग्रिम एवं वाहन क्रय अग्रिम में संशोधन/बदलाव व पुराने वाहनों को क्रय किए जाने के प्रावधान शामिल करने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय कार्मिकों को दिए जा रहे भवन निर्माण अग्रिम एवं वाहन क्रय अग्रिम में संशोधन/बदलाव व पुराने वाहनों को क्रय किए जाने के प्रावधान शामिल करने संबंधी प्रस्तावों पर गहन विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात् वर्तमान समय के बाजार भाव और अत्यधिक महंगाई को देखते हुए विश्वविद्यालय कार्मिकों के कल्याण हेतु भवन निर्माण और वाहन क्रय किये जाने हेतु अग्रिम की अधिकतम सीमा एवं सामान्य ब्याज दर में निम्नानुसार अनुमोदन किया गया:–

1. भवन निर्माण अग्रिम की अधिकतम सीमा में बदलाव का प्रस्ताव:-

क्र. सं.	भवन निर्माण अग्रिम लेने वाले कार्मिकों की श्रेणी	अधिकतम सीमा	
		वर्तमान	अनुमोदित
1.	रु. 10.00 लाख तक वेतन लेने वाले कार्मिक	15.00 लाख	25.00 लाख
2.	रु. 25.00 लाख तक वेतन लेने वाले कार्मिक	30.00 लाख	50.00 लाख
3.	रु. 25.00 लाख से अधिक वेतन लेने वाले कार्मिक	50.00 लाख	75.0 लाख

2. भवन निर्माण अग्रिम पर लगने वाले सामान्य ब्याज की दर में प्रबंध मण्डल द्वारा कोई बदलाव नही किया गया।

3. वाहन क्रय अग्रिम की अधिकतम सीमा में बदलाव का प्रस्तावः-

क्र. सं.	क्रय किये जाने वाले वाहन की श्रेणी	अधिकतम सीमा	
		वर्तमान	अनुमोदित
1.	नई मोटर कार/जीप	20 माह का वेतन अथवा रु. 8.00 लाख अथवा मोटर कार / जीप के वास्तविक मूल्य का 80%, जो भी कम हो।	20 माह का वेतन अथवा रु. 25.00 लाख अथवा मोटर कार / जीप के वास्तविक मूल्य का 80%, जो भी कम हो।
2.	नया स्कूटर / मोटर साइकिल / मोपेड / ऑटो साइकिल	15 माह का वेतन अथवा रु. 1.00 लाख अथवा स्कूटर / मोटर साइकिल / मोपेड / ऑटो साइकिल के वास्तविक मूल्य का 80%, जो भी कम हो।	15 माह का वेतन अथवा रु. 3.00 लाख अथवा स्कूटर / मोटर साइकिल / मोपेड / ऑटो साइकिल के वास्तविक मूल्य का 80%, जो भी कम हो।

4. वाहन क्रय अग्रिम पर लगने वाले सामान्य ब्याज की दर में बदलाव का प्रस्तावः-

क्र. सं.	क्रय किये जाने वाले वाहन की श्रेणी	सामान्य ब्याज दर	
		वर्तमान	अनुमोदित
1.	नई मोटर कार / जीप	14.00%	12%
2.	नया स्कूटर / मोटर साइकिल / मोपेड / ऑटो साइकिल	10.50%	10.50%

5. पुराने भवन की खरीद, पहले से चल रहे गृह–ऋण के समायोजन, भवन मरम्मत अग्रिम, पूर्व में चल रहे वाहन–ऋण, पुराने वाहन क्रय, इत्यादि के प्रावधानों को मूल प्रावधानों में भी शामिल किये जाने सम्बंधी प्रस्तावों को प्रबंध–मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–07 : **विश्वविद्यालय वित्त समिति में प्रबंध मण्डल के सदस्य प्रो. एन. एल. हेडा को नामित किए जाने के माननीय कुलगुरू के आदेशों को प्रबंध मण्डल के समक्ष रिपोर्ट करना।**

निर्णय : विश्वविद्यालय वित्त समिति में प्रबंध मण्डल के सदस्य प्रो. एन. एल. हेडा को नामित किए जाने के माननीय कुलगुरू के आदेशों को प्रबंध मण्डल द्वारा पारित किया गया।

टेबल एजेण्डा मद संख्या 01	:	**विश्वविद्यालय की जमा राशि की F.D.R. केवल राष्ट्रीयकृत बैंक (सरकारी) में करवाने के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर विचार विमर्श कर निर्णय करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय कोष की बचत राशि को निवेश किए जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिए गए :- 1. निवेशित की जाने वाली राशि में से 60% राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेशित किए जाने का निर्णय किया गया जिसमें से विश्वविद्यालय परिसर में स्थित Union Bank of India के द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान की जा रही सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम 25% राशि Union Bank of India को देने की अनुशंषा की गई। 2. निवेशित की जाने वाली राशि में से 40% राशि राज्य सरकार/लोकभवन से अनुमत निजी बैंकों में यदि उनकी ब्याज दर राष्ट्रीयकृत बैंकों से तुलनात्मक रूप से अधिक होने पर ही निवेशित किए जाने की अनुशंषा की गई। 3. विश्वविद्यालय परिसर से बाहर के राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी भी एक बैंक में 150 करोड से अधिक की राशि निवेशित नहीं की जाने की अनुशंषा की गई जिसमें किसी भी बैंक में एक साथ 100 करोड से अधिक की राशि भी निवेशित नहीं की जावें। उपरोक्त वर्णित व्यवस्था को पारदर्शिता प्रदान किए जाने के दृष्टिगत उक्त कार्य की निगरानी एवं अनुशंषाऐं प्रदान करने हेतु निम्नांकित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन किया गया, जो कि अपनी अनुशंषाऐं कुलगुरू महोदय को प्रस्तुत करेंगी – 1. प्रो. एन.एल.हेडा, प्रबंध मण्डल सदस्य (वित्त समिति में नामित सदस्य)–संयोजक 2. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा – सदस्य 3. वित्त नियंत्रक, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा – सदस्य सचिव

अन्त में कुलगुरु महोदय ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिये आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

(प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत)
कुलगुरु
एवं अध्यक्ष

21/11/
(राजपाल सिंह)
कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव